न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 18 / 2023 GCMS No:- 2023/481

सरकार जरिये नरेन्द्र सिंह राठौड खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहित कुमार पुत्र श्री रामवतार खण्डेलवाल (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी,
बैनाडा मोड, बस्सी, जिला जयपुर– 303301
मूल निवासी ग्राम पोस्ट बैनाडा, तह0 बस्सी, जिला जयपुर। मो0– 771580486411
2. श्रीमती संगीत श्यामसुन्दर चॉडक (मालिक)
मैसर्स चॉडक मार्केटिंग,
16, सूरजपोल मंडी, नागा तलाई, सूरजपोल मंडी रोड,
जयपुर। 302004

... अप्रार्थी–अभियुक्त

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

——

निर्णय दिनांकः 18 / 12 / 2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.02.2023 को दोपहर 01.00 पी.एम. पर मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, बैनाडा मोड, जिला जयपुर पहुंचा। वहां पर श्री मोहित कुमार पुत्र रामअवतार खण्डेलवाल उपस्थित थे। श्री मोहित कुमार को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मोहित ने स्वयं को फर्म का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री मोहित कुमार से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय पत्र अनुज्ञा पत्र मांगा इन्होनें मौके पर फर्म का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र,एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी का निरीक्षण करने पर परिसर में चाय (चॉडक ब्राण्ड) के 125 किलोग्राम (500 ग्राम के सील्ड पैकिट) (25 किलोग्राम प्रत्येक कट्टे × 5) के सील्ड पैकिट जो कि आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु रखा हुआ था जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 सील्ड पैकिट 4×500 किलोग्राम चाय (चॉडक ब्राण्ड) खरीदकर उसकी कीमत 580/– रूपये विक्रेता को अदा कर रसीद प्राप्त की। रसीद पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री रोमित नाटानी एवं कृष्ण कुमार गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य करोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चाय (चॉडक ब्राण्ड) को एकरूप कर चार खाली साफ

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा चाय (चॉडक ब्राण्ड) को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक **AN-2936** दर्ज कया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर **AN-2936** नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 08.03.2023 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 494 / एक्ट / 2023 / 552 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (चॉडक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2023 / 607 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि मिसब्राण्ड चाय (चॉडक ब्राण्ड) का विक्रय / निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी / अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

1 स्वयं उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ चाय (चॉडक ब्राण्ड) का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी ने कथन किया कि चाय (चॉडक ब्राण्ड) गुणवत्तापूर्ण पायी गयी है एवं केवल लेबलिंग मिस्टेक पर मिसब्राण्ड किया गया है जबकि खाद्य सुरक्षा स्टेण्डर्ड अनुसार **used by/expire** की लेबलिंग मिस्टेक को अप्रार्थी द्वारा सुधार लिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ चाय (चॉडक ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (चॉडक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया है एवं अप्रार्थी द्वारा लेबलिंग मिस्टेक को वर्तमान में सुधार लिया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी–अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर